



कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।



द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015

दूरभाष :- 0612-2215895, वेबसाइट- krishi.bih.nic.in ई-मेल- diragri@bih.nic.in

पत्र संख्या-09/उपा0बीजअनु0-36/2019

534

Govt of Bihar
Directorate of Agriculture

mail.com

01/02/2021



कार्यालय आदेश

मेसर्स सिगनेट क्रॉप साइन्सेज इंडिया प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड ऑफिस-2nd फ्लोर, ब्लॉक -H, पॉकेट-32, सेक्टर-03 (नियर विश्राम चौक), रोहिणी, नई दिल्ली-110085, द्वारा-कल्याणी सीड, नियर सहारा गोदाम, अगमकुआँ रोड, पटना-07 के बीज अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव, कोषागार चालान, उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना से प्राप्त बिक्री केन्द्र एवं गोदाम का स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज निरीक्षक समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 01/2021 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे। पंजीकरण की वैधता तिथि- 31.01.2026 तक मान्य है।
8. कृषि निदेशालय के पत्रांक 2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संचिका संख्या-09/उपा0 बीज0 अनु0-36/2019 के पृ0 09/टि0 पर दिनांक- 29.01.2021 के प्रस्ताव में कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

[Signature]
11/2/2021

(धनन्जय पति त्रिपाठी)

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 534

/कृ0, पटना, दिनांक 01-02-2021

प्रतिलिपि:- मेसर्स सिगनेट क्रॉप साइन्सेज इंडिया प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड ऑफिस-2nd फ्लोर, ब्लॉक -H, पॉकेट-32, सेक्टर-03 (नियर विश्राम चौक), रोहिणी, नई दिल्ली-110085, द्वारा-कल्याणी सीड, नियर सहारा गोदाम, अगमकुआँ रोड, पटना-07 को सूचनार्थ प्रेषित।

Ripau
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 534

/कृ0, पटना, दिनांक 01-02-2021

प्रतिलिपि:- निदेशक, बसोका/संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) /उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Ripatt
संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,
बिहार, पटना।



कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।



द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015
दूरभाष :- 0612-2215895, वेबसाइट- krishi.bih.nic.in ई-मेल- diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

पत्रांक:-09/उपा0बीजअनु0-36/2019

534

दिनांक:- 01-02-2021

मेसर्स सिग्नेट क्रॉप साइन्सेज इंडिया प्रा0 लि0, रजिस्टर्ड ऑफिस-2nd फ्लोर, ब्लॉक-H, पॉकेट-32, सेक्टर-03 (नियर विश्राम चौक), रोहिणी, नई दिल्ली-110085, द्वारा-कल्याणी सीड, नियर सहारा गोदाम, अगमकुआँ रोड, पटना-07 के द्वारा राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा :-

LIST OF CROP & VARIETIES

S. no.	CROP	Seed Type	Variety Type	Variety
1	WHEAT	NOTIFIED	CERTIFIED	HD-3226, DBW-187

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक-09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

P. Prati
01/02/2021

(धनन्जय पति त्रिपाठी)

संयुक्त निदेशक (शष्य), उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।



FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No 01-2021

Date -01-02-2021

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स सिगनेट क्रॉप साइन्सेज इंडिया प्रा० लि०, रजिस्टर्ड ऑफिस-2nd फ्लोर, ब्लॉक -H, पॉकेट-32, सेक्टर-03 (नियर विश्राम चौक), रोहिणी, नई दिल्ली-110085, is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at द्वारा-कल्याणी सीड, नियर सहारा गोदाम, अगमकुआँ रोड, पटना-07 the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Sale	Place of Storage
मेसर्स सिगनेट क्रॉप साइन्सेज इंडिया प्रा० लि०, द्वारा-कल्याणी सीड, नियर सहारा गोदाम, अगमकुआँ रोड, पटना-07	मेसर्स सिगनेट क्रॉप साइन्सेज इंडिया प्रा० लि०, द्वारा-कल्याणी सीड, नियर सहारा गोदाम, अगमकुआँ रोड, पटना-07
चौहद्दी :- उत्तर - श्री लक्ष्मी पंडित	चौहद्दी :- उत्तर - श्री लक्ष्मी पंडित
दक्षिण- 12 फीट चौड़ा रास्ता	दक्षिण- 12 फीट चौड़ा रास्ता
पूरब- नीज मकान मालिक श्री श्रवण कुमार	पूरब- नीज मकान मालिक श्री श्रवण कुमार
पश्चिम-श्री शैलेन्द्र कुमार का मकान	पश्चिम-श्री शैलेन्द्र कुमार का मकान

Date : 35542 ND-534, Date - 01-02-2021

Seal :

धनन्जय पति त्रिपाठी
संयुक्त निदेशक (राष्ट्र) उगलान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

(Dhananjay Pati Tripathi)
Joint Director (Agronomy) Input
Signature of the Licensing officer Seal
Authority vide order of Director of Agriculture
On dated- 29-01-2021 in file No 09/Input.Seed lic.
36/2019 Note Sheet page No 09/T

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licensee comes into force with immediate effect and shall be valid up to 31-01-2026 Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licensee shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by him for the purpose of storage, sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately

(Dhananjay Pati Tripathi)
Joint Director (Agronomy) Input
Signature of the Licensing officer Seal
Authority vide order of Director of Agriculture
On dated- 29-01-2021 in file No 09/Input.Seed lic.
36/2019 Note Sheet page No- 09/T